

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़ (छ.ग.)

☎ 07762-224426 (O), 07762-222178 (R), 07762-226047 (F) E-mail: dfo-raigarh.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./
प्रति,

1507

/2020/रायगढ़, दिनांक - 26-12-2020

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of forest land non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for CONSTRUCTION work of 132 KV DCDS line to provide supply from 132/33 KV SS kondatarai to M/s NTPC Ltd. area- 9.589 ha.- regarding.

पंजीयन क्रमांक - FP/CG/TRANS/39462/2019

संदर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-176/1833 रायपुर दिनांक 16.10.2020

विषयांतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन लाईन कंपनी लिमिटेड द्वारा रायगढ़ जिले के रायगढ़ वनमण्डल अंतर्गत Construction work of 132 KV DCDS line to Provide supply from 132/33 KV SS Kondatarai to M/s NTPC हेतु कुल क्षेत्र 9.589 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव कार्यालयीन पत्र क्रमांक/तक.अधि./587 रायगढ़ दिनांक 19.05.2020 को आपको प्रेषित की गयी थी।

संदर्भित पत्र के माध्यम से उक्त व्यपवर्तन प्रस्ताव के निरीक्षण उपरांत आनलाईन 07 बिन्दुओं एवं ऑफलाईन 10 बिन्दुओं में कमियां पायी गयी है। जिसकी पूर्ति निम्नानुसार है:-

आनलाईन कमियां :-

क्र.	पायी गयी कमियां	कमियों की पूर्ति
01	Form A Part -II के कालम न. 2 (Legal status of forest land proposed for diversion) क्रमांक - 2 में 7.399 हे. राजस्व वन (Revenue forest) लेख है। अपलोड भाग - 2 में 7.399 हे. असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी वन) लेख है। आनलाईन एवं भाग - 2 में मिलान नहीं हो रहा है। जिसे सुधार करें।	Form A Part -II के कालम न. 2 (Legal status of forest land proposed for diversion) क्रमांक - 2 में 7.399 हे. राजस्व वनभूमि (Revenue forest land) है। ऑनलाईन एवं अपलोड भाग - 2 में 7.399 हे. को राजस्व वन भूमि के रूप में सुधार कर दिया गया है।
02	Form A Part -II के कालम न. 13 (Details of compensatory afforestation scheme) में नारंगी वन क्षेत्र रकबा 3.417 हे. 8.076 हे. एवं रकबा 7.865 हे. लिया गया है, जिसमें KML File के Attribute में विवरण (जैसे RF/PF along with compartment no. and area in ha./Revenue	Form A Part -II के कालम न. 13 (Details of compensatory afforestation scheme) में नारंगी वन क्षेत्र रकबा 3.417 हे. 8.076 हे. एवं रकबा 7.865 हे. लिया गया है, जिसमें KML File के Attribute में विवरण (जैसे RF/PF along with compartment no. and area in

	Forest land along with khasra no. and area in ha. आदि) अपलोड नहीं है, जिसे KML File में अपलोड करें।	ha./Revenue Forest land along with khasra no. and area in ha. आदि) अपलोड कर .KML File में अपलोड कर दिया गया है।
03	पैच न. 3 रकबा 7.865 हे. के.एम.एल के जांच में पाया गया कि उक्त क्षेत्र के बीच से कच्ची सड़क दिखाई दे रही है, जिसे वनमण्डलाधिकारी स्पष्ट करें।	पैच न. 3 रकबा 7.865 हे. के.एम.एल. फाईल में दिख रहे कच्ची सड़क नहीं है। दिख रही सड़क जैसी चित्र वास्तव में पगडंडी है।
04	Form A Part – II के कॉलम 13 (iii एवं iv) वन मण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित टोपोशीट एवं जियोरिफरेंस नक्शा में अपलोड नहीं है, जिसे अपलोड करें।	Form A Part – II के कॉलम 13 (iii एवं iv) वन मण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित टोपोशीट एवं जियोरिफरेंस नक्शा में अपलोड कर दिया गया है।
05	वैकल्पिक वृक्षारोपण का वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड नहीं है, जिसे अपलोड करें।	वैकल्पिक वृक्षारोपण का वनमण्डलाधिकारी द्वारा सत्यापित डी.जी.पी.एस. रिपोर्ट अपलोड कर दिया गया है।
06	Form A Part – II के कॉलम 15 (Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer Highlighting important facts pertaining to the forest land) में अपलोड प्रपत्र – 3 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है, जिसे अंकित कर पुनः अपलोड करें।	Form A Part – II के कॉलम 15 (Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer Highlighting important facts pertaining to the forest land) में अपलोड प्रपत्र – 3 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित अंकित कर पुनः अपलोड कर दिया गया है।
07	Form A Part – II के कॉलम 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV) में अपलोड भाग– 2 दिनांक एवं हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है, जिसे भाग – 2 में सुधार कर पुनः अपलोड करें।	Form A Part – II के कॉलम 16 (Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV) में अपलोड भाग– 2 दिनांक एवं हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित कर अपलोड कर दिया गया है।

ऑफलाईन कमियां :-

क्र.	पायी गयी कमियां	कमियों की पूर्ति
01	प्रस्ताव में वनमण्डलाधिकारी का सत्यापित टाईम लाईन संलग्न नहीं है।	उक्त कमियों की पूर्ति कर पुनरीक्षित प्रस्ताव में वनमण्डलाधिकारी का सत्यापित टाईम लाईन संलग्न कर दिया गया है।
02	प्रस्ताव में संलग्न मांग पत्र 1 में आरक्षित वन तथा शेष राजस्व वन उल्लेखित है, जबकि आवेदित क्षेत्र से संबंधित मानचित्र में 02 वन कक्ष परिलक्षित हो रहा है।	उक्त प्रस्ताव में रायगढ़ परिक्षेत्र अंतर्गत आरक्षित वन कक्ष क्रमांक 1010 ही प्रभावित हो रहा है। इस संबंध में जियोमेटिक सेंटर बिलासपुर से एरिया वेरिफिकेशन कराया गया है जिनसे एरिया स्टेटमेंट के अनुसार (One Compartment PF 1016 P (appeared in the map) has been excluded from area statement since feild

		excluded from area statement since feild report says that The Transmission Line doesn't intersect perticular compartment on the ground). अतः आरक्षित वन 1010 ही प्रस्ताव में प्रभावित हो रहा है। ANX-1
03	गैर वन क्षेत्र विवरण में वन क्षेत्र का विवरण संलग्न किया गया है।	गैर वन क्षेत्र का विवरण संलग्न कर दिया गया है। ANX-2
04	वृक्ष विदोहन विवरण में वृक्ष गणना पुस्तक (मार्किंग बुक) संलग्न नहीं है तथा फार्म 1 बी त्रुटि पूर्ण है।	वृक्ष विदोहन विवरण में वृक्ष गणना पुस्तक (मार्किंग बुक) संलग्न कर फार्म 1 बी में सुधार कर दिया गया है। ANX-3
05	पारेषण लाईन के नीचे 3 मीटर x 3 मीटर चौड़ाई में कटने वाले वृक्षों की जानकारी संलग्न नहीं है।	पारेषण लाईन के नीचे 3 मीटर x 3 मीटर चौड़ाई में कटने वाले वृक्षों की जानकारी संलग्न कर दिया गया है। ANX-4
06	प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि 7.399 हे. अभिलेखित है, जबकि प्रपत्र - 03 में यह क्षेत्र असीमांकित संरक्षित वन क्षेत्र (नारंगी वन) के रूप में अभिलेखित है, जो एक दूसरे के समरूप नहीं है।	प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि 7.399 हे. है। प्रपत्र - 03 में सुधार कर दिया गया है। ANX-5
07	प्रपत्र - 03, भाग - 2 तथा पृष्ठ क्र. 155 में वृक्षों की संख्या भिन्न-भिन्न है।	प्रपत्र - 03, भाग - 2 तथा पृष्ठ क्र. 155 में वृक्षों की संख्या को सुधार कर दिया गया है। ANX-5
08	प्रपत्र - 03, भाग - 02 में संबंधित वन मण्डलाधिकारी का नाम अंकित नहीं है।	प्रपत्र - 03, भाग - 02 में संबंधित वन मण्डलाधिकारी का नाम अंकित कर दिया गया है। - ANX-6
09	प्रस्तावित क्षेत्र एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी. पी.एस. रिपोर्ट मय सी.डी. नहीं है।	प्रस्तावित क्षेत्र एवं क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी. जी.पी.एस. रिपोर्ट मय सी.डी. संलग्न कर दिया गया है। - ANX-7
10	वर्तमान में वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए कार्य आयोजना में शामिल नारंगी क्षेत्र को भारत सरकार द्वारा मान्य नहीं किया जा रहा है, जबकि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु नारंगी क्षेत्र प्रस्तावित है।	उक्त परियोजना एन.टी.पी.सी. का है, जो कि भारत सरकार का उपक्रम है जिसे छ.ग. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. को कार्य करने हेतु आदेशित किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है। - ANX-8

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृ. क्रमांक/तक.अधि./

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) अटल नगर रायपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. Executive Engineer, CSPTCL, EHT Construction division Bilaspur, Near Tifra Overbridge Bilaspur (C.G.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

रायगढ़ वनमण्डल, रायगढ़

2020/रायगढ़, दिनांक :-

26/12/2020

वनमण्डलाधिकारी